e-103335/45r 84/ACTT(P) 30/03/21 30-3.21

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (81)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/287

Dated: 24/3/21

Notification No. 73/2020-State Tax

No. F.3(81)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/

- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017,who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1st day of October, 2020 to the 31st day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in FORM GST INV-01 on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

No. F.3 (81)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ 287

(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 44/3/4/

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

Mr. Paman Merner, 95TI | motherye IT | Eppall for upboding on website

318 kg.21

- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat,
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.
- 12. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (ट्यय–IV) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं.फा. 3(81) / वित्त(व्यय-IV) / 2020–21 / डीएस–IV /अ

दिनांकः 24/3/21

अधिसूचना संख्या 73/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(81) / वित्त (ट्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हे दिल्ली माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना हैं, परंतु उन्होंने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, समान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आईएनवी-01 में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (मनोज कुमार) उप सचिव–IV (वित्त)

सं.फा. 3(81) / वित्त(व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / र्थि /

दिनांकः *२५/3/2/*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

अ। अायुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11. वेब साईट।

12. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार) उप सचिव–IV (वित्त)